उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-52/2015/2546/92-1-2015-37(अधि0)/2015,
दिनांक: लखनऊ: 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 के वर्तमान तैनाती स्थान से जनहित/शासकीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है तथा स्तम्भ-5 में अंकित स्थान का अतिरिक्त कार्यभार देखे जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क्र0सं0	अधीक्षण अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अतिरिक्त कार्यभार का स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव	परिमण्डल-फैजाबाद	परिमण्डल-देवीपाटन	परिमण्डल-फैजाबाद
2	श्री शैलेश अग्रवाल	परिमण्डल-झांसी	मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, लखनऊ	--

2- उपरोक्त अधीक्षण अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती/अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त क्रम संख्या-1 के सम्मुख उल्लिखित अधीक्षण अभियंता को अतिरिक्त कार्यभार देखे जाने हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2015/2546(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्तागण, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
8- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://s asanadesh.up.ni .n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।